विभाग का नाम :–खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :– आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

ताराकित/अतांराकित प्रश्न संख्या :– 203–अतारांकित

दिनांकः–26.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :–श्री राजेश ऋषि

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली का खाद्य सुरक्षा कानून क्या है, पूर्ण विवरण दें,	दिल्ली का खाद्य संरक्षा कानून भारत सरकार का 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 है' जोकि संसद के 2006 का अधिनियम संख्यांक 34 जोकि दिनांक 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हुई। खाद्य संरक्षा से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो।
ख	नकली और सब स्टैण्डर्ड सामान बेचने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है,	नकली और सब स्टैण्डर्ड सामान बेचने वालों पर 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।
ग	खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सन 2017 से आज तक कितने लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गई,	'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के तहत सन 2017 से आज तक 413 खाद्य विकेताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
घ	खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत नकली दूध और नकली दूध से बने पदार्थों पर कानून में क्या प्रावधान है,	'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के तहत नकली दूध और नकली दूध से बने खाद्य पदार्थ पाए जाने पर

मुकेश सिंह

<table>
<tr><td></td><td></td><td>उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं के तहत सजा एवं जुर्माना निर्धारित है।</td></tr>
<tr><td>ङ</td><td>क्या यह सत्य है कि दिल्ली में मिलावटी और नकली सामानों की शिकायत के लिए कोई हेल्प लाइन नम्बर है,</td><td>जी हॉ, खाद्य संरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाईन/टोल–फ्री नम्बर 1800113921 स्थापित किया है।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>यदि हॉ, तो इस पर 2017 से आज तक कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों पर क्या–क्या कार्रवाई हुई,</td><td>अब तक कुल 396 शिकायतें टोल–फ्री नम्बर पर दर्ज की गई है, जिनके निस्तारण हेतु उचित कार्रवाही की गई।</td></tr>
<tr><td>छ</td><td>जनवरी से 2017 आज तक दूध के कितने सैम्पल लिए गए और किन–किन कम्पनियों के कितने सैम्पल सब–स्टैण्डर्ड और नकली पाए गए,</td><td>जनवरी, 2017 से आज तक दूध के कुल 355 नमूने लिए गए। निम्नलिखित कम्पनियों के कुल 21 नमूने अवमानक (सब–स्टैंडर्ड) या मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाये गए:–
<table>
<tr><th>कम्पनी</th><th>अवमानक (सब–स्टैंडर्ड)</th><th>मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड)</th></tr>
<tr><td>अमूल</td><td>09</td><td>–</td></tr>
<tr><td>डेलेक्टा प्रीमियम</td><td>–</td><td>01</td></tr>
<tr><td>डीएमएस</td><td>01</td><td>01</td></tr>
<tr><td>मदरडेरी</td><td>05</td><td>–</td></tr>
<tr><td>नमस्ते इंडिया</td><td>01</td><td>–</td></tr>
<tr><td>पतंजलि</td><td>–</td><td>03</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ज</td><td>क्या यह सत्य है कि नकली टमेटो सॉस, सोया सॉस और नकली चिली सॉस बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं,</td><td>संज्ञान में नहीं है, फिर भी टोमेटो सॉस के कुछ नमूने अवमानक (सब–स्टैंडर्ड) तथा मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाये गये हैं।</td></tr>
<tr><td>झ</td><td>यदि हॉ, तो अब तक विभाग ने कितने सैम्पल लिए और कितने लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की, और</td><td>विभाग ने जनवरी 2017 से अब तक 29 सैम्पल लिए जिनमें 01 नमूना अवमानक (सब–स्टैंडर्ड) व 06 नमूने मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाए गए और संबंधित लोगों के विरूद्ध 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के तहत कार्रवाई की गई है।</td></tr>
<tr><td>ञ</td><td>नकली दूध और उनसे बने पदार्थों से दिल्ली के बच्चों और दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कितनी इकाइयों के विरूद्ध कार्रवाई हुई और उसके क्या परिणाम आये?</td><td>विभाग द्वारा 01 जनवरी 2017 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न इकाईयों से दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों के कुल 1319 नमूने उठाये गए, जिनमें से 256 नमूने खाद्य संरक्षा अधिकनयम 2006 के मानक के अन्तर्गत नहीं पाये गए और अबतक 151 के विरूद्ध विभिन्न न्यायालय में मुकदमें दर्ज कराये गए हैं।</td></tr>
</table>

GURPREET SINGH
Administrative Officer
Department of Food Safety
Govt. of Delhi.
8th Floor, Mayur Bhawan,
Cannaught Place, New Delhi-110001

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

खाद्य संरक्षा विभाग, 8वीं मंजिल,

मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01

सं011(231) / एफएस / एमआईएससी / वीएस / प्रोस / 2019/6169-70 दिनांक– 22.08.19

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषय– दिनांक 26.08.2019 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्र0सं0 203 का उत्तर।

महोदय,

इस विभाग को उपरोक्त विषय में भेजे गए विधानसभा प्रश्न दिनांक 16.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। दिनांक 26.08.2019 को सदन की बैठक हेतु प्रश्नों के उत्तर की वांछित 100 प्रतियॉ निर्धारित पपत्र में भेजी जा रही है। **यह सूचना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से जारी है ।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

गुरप्रीत सिंह 22/8/19

(गुरप्रीत सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी
खाद्य संरक्षा विभाग

सं011(231) / एफएस / एमआईएससी / वीएस / प्रोस / 2019 दिनांक–

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, ब्लॉक नं0–9, दिल्ली (प्रश्नों के उत्तर की 150 प्रतियॉ संलग्न है)